संख्या-20/2015/884/74-2015-09(ब)/2015

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम निदेशालय उ0प्र0,
गोमती नगर, लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग — लखनऊ दिनांक 18 सितम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाडियों का क्रय" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक रेशम, रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-323/सेरी0/नजा0/वाहन क्रय/2015-16 दिनांक 28 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाडियों का क्रय" में प्राविधानित धनराशि रूपया 2500 हजार के सापेक्ष रू0 1347394.00 (रूपया तेरह लाख सैतालिस हजार तीन सौ चौरानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति, 02 मारूती सुजूकी कम्पनी की सियाज पेट्रोल वैरियंट प्रति रू0 673697.15 की दर से, क्रय करने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(3) निदेशक, रेशम, रेशम निदेशालय यह सुनिश्चित हो लेगें कि निष्प्रयोज्य घोषित व निलाम किए गए वाहनों से प्राप्त धनराशि को कोषागार में जमा किया जा चुका है तथा उक्त के प्रतिस्थापनस्वरूप वाहन क्रय की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम 15 मार्च, 2016 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाये।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(6) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यो हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(7) उक्त धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार के विचलन/दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम स्वंय जिम्मेदार/उत्तरदायी होगें।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) में लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय-14 मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, के अशासकीय संख्या-535/दस-2015, दिनांक 11 सितम्बर, 2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2015/884/(1)/74-2015-तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेश्क, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त शासनादेश वेबसाइट पर लोड कर दे।
(10) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।